


न्यायालय भ्रोमान् राजस्व मण्डल उपाधियर कैम्प रीवा । कांगड़ा ।

115



- A-3752-मृ० 1. तुम्हीला रेक्वार पृत्री स्व० रामस्तीवन रेक्वार  
2. कमला रेक्वार पृत्री स्व० रामस्तीवन रेक्वार,  
3. रमेशा रेक्वार तनय स्व० रामस्तीवन रेक्वार,  
4. रोहणी रेक्वार तनय स्व० रामस्तीवन रेक्वार,  
5. संदीप रेक्वार तनय स्व० रामस्तीवन रेक्वार,

6. सभी निवासी तनय नगर समान तहसील हृष्णर जिला रीवा ₹५०५०।

7. बालाजी शाहदार रेक्वार पत्नी स्वा सुरेशा रेक्वार,

8. विजय पृत्र स्व० शूरेशा रेक्वार,

9. पिंडू रेक्वार पृत्र स्व० सुरेशा रेक्वार,

सभी निवासी एलओआईजी०१/६/२२० इन्दूरा नगर सरस्वती स्कूल के

बगल में बरा समान तहसील हृष्णर जिला रीवा ₹५०५०। -----अपीलाण्ट्याण

बनाम

कौशल रेक्वार तनय स्व० रामस्तीवन रेक्वार निवासी पी०के० स्कूल  
के पीछे उर्द्दट तांची पार्टर पी०के० स्कूल के गेट के पास उर्द्दट तहसील  
हृष्णर जिला रीवा ₹५०५०।

मोहन जाल तनय स्व० रामस्तीवन रेक्वार निवासी पी०के० स्कूल के

पीछे उर्द्दट तहसील हृष्णर जिला रीवा ₹५०५०। हाल निवासी गोवा  
-----रेस्पाइक्ट्याण

Inra

न्यायालय द्वोतान् राजस्य पण्डित गपालियर कैम्प रीधा । म0५० ॥



१. त्रिशोला रैक्यार पुत्री स्था रामराजीवन रैक्यार
  २. कमला रैक्यार पुत्री स्था रामराजीवन रैक्यार,
  ३. सोदा रैक्यार तनय स्था रामराजीवन रैक्यार,
  ४. सोहणी रैक्यार तनय स्था रामराजीवन रैक्यार,
  ५. संशोप रैक्यार तनय स्था रामराजीवन रैक्यार,
  ६. तमी निवासी तनय नगर तमान गद्दील हृष्टुर चिला रीपा ५०५०५०

**प्राद्युम्ना ईळवार पत्नी, खण्डुरेशा ईळवार,**

४७ धिण्य पत्र स्था शुरेश रैकपार,

पिन्ट रेक्षार पूर्व स्था सुरेशा रेक्षार,

सभी निवासी एलआईडी०१/६/२२८ इन्हुंरा नगर सरस्वती स्कूले  
द्वारा ब्रह्मगंगा तहसील हृष्णर जिला रीका ३७०४०-----अपीलाण्ट्यण

અંગ ૫

- 1- गोहनी ईव्हार परी की मौलिक ऐफार अंडुक्या
  - (2) गोहनी ईव्हार परी की मौलिक ऐफार अंडुक्या
  - 3- अंडुक्या फ्रेनी विस्तार परी की मौलिक ऐफार अंडुक्या
  - 4- नहीं किंतु अंडुक्या (माद्य और अंडुक्या) संस्कृत छान्दो

—४८— रेखांकन छाण

1121

अपील विलु प्राक्षेपा अपर आयुक्त महोदय रीवा  
सभाग रीवा० म०प्र०० के प्रकरण क्रमांक 339/अपील/

12-13 आक्षेपा दिनांक 24-8-2013

अपील अन्तर्गत धारा 44 १२० म०प्र०० भ० राजस्व  
संहिता सन् 1959 ई० ।

मान्यवर,

अपील के आधार निम्न है :-

1. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों का आक्षेपा विधि संवृत्ति प्रक्रिया  
के विलु ढोने से निरस्त किये जाने योग्य है ।
2. यह कि गाराणी खसरा नम्बर 94/3। रक्वा 0.020 है० जो  
भौजा समान तहसील हृष्टुर जिला रीवा० म०प्र०० में स्थित है, उक्त भौमि  
के भूमि स्थानीय आवेदक गण व अनावेदक के पिता स्व० रामसीरन रेक्वार  
थे, उनकी मृत्यु दिनांक 24-2-1993 को हो गयी, जिसके बाद वारिसान  
आवेदक गण व अनावेदक की मां बुधिलाबाई है । बुधिलाबाई की भी  
मृत्यु दिनांक 26-8-2009 को हो चुकी है । उनकी मृत्यु के पश्चात आवेदक  
व अनावेदक गण बराबर-बराबर हिस्से के बाद वारिस होने के कारण  
हिस्सेशार व मालिक है ।
3. यह कि रेस्पाडेन्ट दोरी छिपे पता नहीं कब मृतक बुधिला बाई  
से फर्जी वसीयतनामा तहरीर कराकर उसी फर्जी वसीयतनामा के आधार  
पर अधीनस्थ न्यायालय तहसील धारा० हृष्टुर के समक्ष उक्त गाराणी खसरा  
क्रमांक 94/3। रक्वा 0.020 है० का आधा दिस्ता धानी 0.010 है० का

A 3752 (13) 13. (200)

27/8/19

अकाली देश | उत्तरप्रदेश-उत्तर  
प्रियानी नहीं अल्पांगनीय  
एक न्याय वार्ता हुई प्रबल 20 अमास  
वार्षिक विवाह हो।

मुख्यमंत्री

संसद 2 कावा 2

८.८

27-8-19

जनरल एकाडमी

संसद १५ दिसेम्बर 19